कार्यालय नगर निगम जोधपुर, दक्षिण

क्रमांक – 171

दिनांक– 09/02/22

नगर निगम जोधपुर, दक्षिण के सर्व साधारण को सुचित किया जाता है कि ठोस कचरा प्रबंधक के क्रम में स्वायत शासन विभाग, जयपुर दिनांक 12.04.2019 को एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अन्तर्गत निम्न उपविधियों के उल्लघंन में किए गए कृत्यों के लिए मौके पर निम्नानुसार जुर्माना राशि वसुली जायेगी :–

क्रं.सं	कृत्य	जुर्माना राशि
1	दुकानदारो द्वारा कचरा रोड/गली में डालने पर	1000 रू. प्रतिदिन
2	रहवासीय भवनों के निवासियों द्वारा रोड/गली में कचरा फैलाने (Littering) पर	100 रू. प्रतिदिन
3	दुकानदारो (Vendor/Hawker) को बिना कचरा पात्र पाये जाने पर	750 रू. प्रतिदिन
4	बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा कचरे को कचरापात्र में इक्कठा नहीं किये जाने पर	1000 रू. प्रतिदिन
5	बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा जनित्र बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को उनके परिसर में उपचारित (Treatment/Self composting) नहीं किये जाने पर	5000 रू. प्रतिदिन
6	100 व्यक्तियों से अधिक का आयोतन पर आयोजक द्वारा उक्त स्थान पर उत्पन्न कचरे को पृथ्क कर अपशिष्ट संग्रहणकर्त्ता को नहीं सौंपने पर	3000 रू. प्रतिदिन
7	विवाह स्थलो द्वारा बाहर कचरा डालने पर	5000 रू. प्रतिदिन
8	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री, ईट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर	1000 रू. प्रतिदिन
9	कचरा एंव प्लास्टिक कचरा जलाने पर	500 रू. प्रतिदिन
10	प्लास्टिक कैरी बेग को उपयोग करते पाये जाने पर	100 रू. प्रतिदिन
11	खुले मे नहाने/पेशाब/शौच करने पर	200 – 500 रू. एक बार
12	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले/सड़क में बहाने पर	5000 रू. प्रतिदिन
13	कोई भी व्यक्ति/डी–स्लजिंग ओपरेटर खुले में या नाले में शौच/उपशिष्ट निस्तारित नहीं करेगा	नियमानुसार जुर्माना लगेगा

उक्त महत्वपूर्ण उपविधियों के अलावा भी अन्य कई उपविधियों को इस अधिसूचना में शामिल किया गया है जिसकी विस्तृत जानकारी नगर निगम जोधपुर, दक्षिण की वेबसाइट **www.jodhpurmc.org** पर उपलब्ध है।

नोटः– नगर निगम जोधपुर, दक्षिण द्वारा किये जा रहे घर–घर कचरा संग्रहण हेतु ऑटोट्रीपर में गीला व सूखा कचरा संग्रहण हेतु अलग–अलग व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक रूप से हेज़ारड्स कचरा यथा पेंन्ट कैन, पेस्टिसाइड डिब्बे, CFL वल्व, एक्सपायर्ड दवाइयाँ, ट्यूब लाइट, सरकारी थरमामीटर, बैटरी/सैल, सूइयाँ, सिरिंज, यूजड गॉज इत्यादि हेतु व्यवस्था की गयी है। जिसका कार्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपके घरो में किया जाना वाले गीले व सूखे / हेज़ारड्स कचरें को अलग–अलग डस्टवीन में संग्रहीत कर ऑटोट्रीपर में गीले व सूखे हेतु बने अलग–अलग बाक्स में डालें।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर(दक्षिण)
दिनांक– 09/02/22

क्रमांक – 172 to 174

प्रतिलिपिः–

1. महापौर महोदया, नगर निगम जोधपुर, दक्षिण।
2. समस्त मुख्य सफाई निरीक्षक नगर निगम जोधपुर, दक्षिण।
3. संपादक .... जोधुपर को भेजकर निर्देश है कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन अगामी समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में करे।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर(दक्षिण)